>

Title : Need to give reservation to Jat Community in Central Government services.

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): उपाध्यक्ष महोदय, 21वीं सदी में हमारे देश में जाति के आधार पर अगर किसी एक वर्ग का शोषण हो, तो इस बात को प्रगतिशील और सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति में विशेष ऊर्जा और शक्ति होती है, लेकिन सामाजिक कुरीतियों के कारण ऊर्जावान नौजवानों को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। हमारे देश में सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आरक्षण प्रणाली चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण से विचारों में संकीर्णता उत्पन्न हुई। कुछ लोगों का मानना है कि इससे सामाजिक विषमताएं समाप्त नहीं हो रही हैं। मेरा मानना है कि आरक्षण प्रणाली से बहुत लोगों को फायदा पहुंचा है, लेकिन आज भी ऐसे कई वर्ग के लोग हैं, जिनकी गिनती नहीं हो रही है। हमने देश में देखा है कि विभिन्न वर्ग के लोगों ने सड़कों पर आ कर अपना विरोध व्यक्त किया है। गूजर समाज के लोगों ने जायज मांग को लेकर अपनी बात रखी। आज भी असलियत की अगर हम बात करें, तो वे अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में अपनी कहिए।

श्री जयंत चौधरी : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैंने अभी शुरूआत ही की है। मेरे संसदीय क्षेत्र में धन्गर समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उन्हें प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है, लेकिन आज मैं सदन में जाट समाज की बात करना चाहता हूं।

मैं इसलिए यह बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं उस जाति से हूं लेकिन राष्ट्र को हानि तब पहुंचती है अगर किसी एक वर्ग को उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। आज हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रदेशों में जाट समाज को प्रदेश में आरक्षण मिल रहा है। आज उनकी मांग है कि केन्द्रीय सेवाओं में उनको नौकरियां मिले। केन्द्र स्तर पर शिक्षा संस्थानों में उनकी गिनती हो। उनकी इस मांग के पीछे एक तर्क है, एक लम्बा इतिहास है, एक भावना है। भावना उस नौजवान की है जो गांवों में रहता है, खेत में अपनी जवानी काटता है और सरहदों पर अपनी कुर्बानी देता है। क्या उनका हक नहीं बनता? विचित्र स्थिति यह है कि दिल्ली प्रदेश में 1999 में आरक्षण मिला, यू.पी. में 2000 में मिला, राजस्थान में भी 1999 में मिला और दो जिलों को छोड़कर राजस्थान में जाट समाज के नौजवानों को दिल्ली में केन्द्र सेवाओं में भी आरक्षण मिलता है और प्रदेश में भी मिलता है। क्या कारण है कि अन्य प्रदेशों में, जैसे आप उदाहरण यू.पी. का लें कि जहां अगर कोई जाट समाज का नौजवान लखनऊ जाएगा तो उसकी गिनती पिछड़े में होगी लेकिन दिल्ली पहुंचते-पहुंचते वह पिछड़ा नहीं रहता। इसमें न्याय नहीं है। मैं आज सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं और हम सब जो सदन के सदस्य हैं, हम समाज से हो सकते हैं लेकिन हम राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। अपने समाज का प्रतिनिधित्व हम नही कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज जो देश में एक माहौल बन रहा है और लोग जो आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार को सही वक्त पर सही फैसला लेना चाहिए। बहुत समय से इसमें विलम्ब हो रहा है। आयोग में यह मामला विचाराधीन है। सरकार को आगे आकर स्पष्ट तरीके से अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हम आपकी पैरवी करेंगे। यदि सरकार इस तरह का कोई भी संदेश देती है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि समाज के जितने नौजवान हैं, उनके अंदर उम्मीद की एक नयी लहर दौड़ेगी और जिस नौजवान ने आईआईटी, आईएएस में जाने का सपना देखा है, उसे लगेगा कि इस देश की नीति न्यायोचित है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): महोदय, यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बात की चर्चा की गई है। जहां तक जाट समाज आरक्षण और इस प्रश्न का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि 29 नवंबर को सोशल जस्टिस एंड एम्पलाएमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने, नेपोलियन जी के प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था कि उन्हें 5 अप्रैल, 2010 को मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा जाटों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण हेतु सिफारिश का लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ था। उन्होंने उस पत्र को जुलाई, 2010 को कार्रवाई के लिए नेशनल कमीशन फार बैकवर्ड क्लासिस के पास भेजा था। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि जो नेशनल कमीशन फार बैकवर्ड क्लासिस के अंडर पेंडिंग है, उस विचाराधीन सिफारिश पर जल्द ही कार्यवाही होनी चाहिए।